न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 205 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 160 / 2023

---

1. संदीप कुमार, पिता–निरु पाल, उम्र करीब 21 वर्ष,
2. अंजु देवी, पति–निरु पाल, उम्र करीब 48 वर्ष,
3. कुणाल कुमार, पिता–हीरा पाल, उम्र करीब 22 वर्ष,
4. रंजीत पाल, पिता–रामजी पाल, उम्र करीब 60 वर्ष,
5. फुला देवी, पति– अमित पाल, उम्र करीब 34 वर्ष

सभी साकिन–हिदायतपुर, थाना–सालिमपुर, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान
सूचक के विद्वान अधिवक्ता :– विजय कुमार

आदेश

17.03.2026 आवेदक अभियुक्त 1. संदीप कुमार, 2. अंजु देवी, 3. कुणाल कुमार, 4. रंजीत पाल, 5. फुला देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद सालिमपुर थाना कांड संख्या 160 / 23, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 304, 504 भा.द.वि. से संबंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण को सूचक द्वारा गलत तरीके से इस वाद में झूठा फँसाया गया है। जिस प्रकार की घटना प्राथमिकी में कही गयी है, उस प्रकार की कोई घटना नही घटी है। सम्पूर्ण घटना सच्चाई और विश्वास से दूर है। प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। आवेदकगण पर विशिष्ट आरोप नहीं है। दर्ज फर्दबयान में जख्म प्रतिवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन के पक्ष में समर्थन नहीं करती है। सूचक से राजनीति और पुरानी दुशमनी को लेकर परिवार के सदस्यों को फंसाया गया है। पूर्व में अन्य अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किमनल मि0 सं0 83599 / 2023, 93129 / 2023 एवं 24389 / 2024 के तहत जमानत दी जा चुकी है। आवेदक अभियुक्तगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन एवं सूचक के वि0 अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं और निवेदन करते कि आवेदक अभियुक्त औपचारिक प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है और आवेदक अभियुक्तगण पर सूचक के पिता की हत्या करने का गंभीर आरोप है। आवेदक अभियुक्तगण पर आरोप धारा 302 भा.द.वि. का है जो अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है। ऐसी परिस्थिति में इनका जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक महेश कुमार है। इन्होंने अपना फर्दबयान दर्ज करवाया है, जिसमें कहा है कि दिनांक 14.07.2023 को सूचक के पिता रामचन्द्र पाल चाय पीने के लिये गांव के मोड़ पर गये थे। जब वह चाय पीकर घर लौट रहे थे उस समय करीब 12 बजे गांव के ही दुर्गा पाल के घर के सामने पहुंचे तो पूर्व से घात लगाये सत्येन्द्र पाल, अमित पाल,

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 205 / 2026
सालिमपुर थाना कांड संख्या 160 / 2023

लगातार
17.03.2026

हिरा पाल, विशाल कुमार, संदीप कुमार, अंजु देवी, कुणाल कुमार, मुन्ना कुमार, रंजीत पाल, फुला देवी, सौरभ कुमार सभी एक साथ घर से लाठी–डंडा एवं खन्ती लेकर निकले और सूचक के पिताजी को गाली–गलौज करने लगे, जब सूचक के पिता उनलोगों को गाली देने से मना किया तो संदीप कुमार एवं कुणाल कुमार ने सूचक के पिता का हाथ पकड़ लिया तथा अमित ने हाथ में लिये लोहे के खन्ती एवं सत्येन्द्र ने लोहे के रॉड एवं हिरा एवं विशाल ने हाथ में लिये ईट तथा अन्य लोगों ने भी हाथ में लिये लाठी–डंडा से मारपीट कर सूचक के पिता को गंभीर रूप से जख्मी कर दिये। जिससे वह बेहोश हो गये। सूचक झगड़ा की आवाज को सुनकर एवं अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे तो वे लोग वहां से भाग गये। सूचक अपने पिता को ईलाज के लिये कंकड़बाग श्रीराम अस्पताल लाये, जहां दि014.07.2023 को रात्रि 23:30 बजे मृत्यु हो गयी। झगड़ा का कारण पूर्व विवाद को लेकर उक्त अभियुक्तों के द्वारा मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया, जिसके कारण इनके पिता की मृत्यु ईलाज के क्रम में हो गई।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी प्राप्त है। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी धारा 147, 148, 149, 323, 302, 504 भा.द.वि. के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 302 भा.द.वि. अजमानतीय है। कांड दैनिकी के पारा 02 में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। कांड दैनिकी के पारा–19 एवं 42 में सूचक महेश पाल एवं बिनोद पाल का बयान है, जिसमें सूचक एवं साक्षी ने घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा–06 में साक्षी अरूण कुमार, पारा –07 में विनोद पाल, पारा –08 में साक्षी विकास कुमार, पारा –09 में साक्षी नरेश पाल, पारा –10 में साक्षी आशुतोष कुमार, पारा –11 में साक्षी मुन्ना कुमार का बयान अंकित है। सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा–66 में अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। कांड दैनिकी के पारा – 69 में पर्वेक्षण टिप्पणी है। कांड दैनिकी के पारा 70 में श्रीराम अस्पताल का रिपोर्ट की छायाप्रति पेस्ट किया गया है। इस वाद में प्राथमिकी अभियुक्त सत्येन्द्र पाल के विरुद्ध धारा 341, 323, 304, 504 / 34 भा.द. वि. में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। इस तरह इस वाद में आवेदक अभियुक्तगण अन्य अभियुक्तों के साथ सूचक के पिता को मारपीटकर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया, जिसके कारण ईलाज के क्रम में सूचक के पिता की मृत्यु हो गई। इस तरह आवेदक अभियुक्तगण पर सूचक के पिता की हत्या करने का गंभीर आरोप है। आवेदक अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप धारा 304 भा.द.वि. का है जो अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति का है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक अभियुक्त 1. संदीप कुमार, 2. अंजु देवी, 3. कुणाल कुमार, 4. रंजीत पाल एवं 5. फुला देवी का जमानत आवेदन स्वीकार करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित / शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़